



चित्रकूट-पुलिस



(1). थाना भरतकूप पुलिस टीम ने किया चोरी की घटना का सफल अनावरण 02 चोरों को चोरी के समरसेबिल के साथ किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में थाना भरतकूप पुलिस ने 02 दिन के अन्दर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 02 चोरों को चोरी के समरसेबुल के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. हीरालाल पुत्र कामता प्रसाद उम्र करीब 32 वर्ष
2. लवलेश पुत्र गरीबदास उम्र करीब 20 वर्ष निवासीगण ग्राम इटखरी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट

बरामदगी:-

चोरी का समरसेबुल

गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

इटखरी गौशाला थाना भरतकूप, जनपद चित्रकूट, दिनांक 12.06.2024 की सुबह समय 09.51 बजे

सक्षिप्त विवरण:-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.06.2024 को रात्रि वादी श्री ललक सिंह पुत्र शिवप्रताप सिंह निवासी भैसोंधा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा थाना भरतकूप में सूचना दी कि अज्ञात चोरों ने उनका समरसेबुल चोरी कर लिया है। इस सूचना पर थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 94/2024 धारा 457,380 भादवि पंजीकृत किया गया। थानाध्यक्ष भरतकूप द्वारा घटना के अनावरण हेतु उ0नि0 श्री रामकुमार को निर्देशित किया गया। उ0नि0 श्री रामकुमार एवं उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनांक 12.06.2024 को समय सुबह 09.51 बजे मुखबिर की सूचना पर इटखरी गौशाल से विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1. हीरालाल पुत्र कामता प्रसाद उम्र करीब 32 वर्ष 2. लवलेश पुत्र गरीबदास उम्र करीब 20 वर्ष निवासीगण ग्राम इटखरी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का समरसेबुल बरामद किया गया। चोरी का समरसेबिल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि0 की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री रामकुमार थाना राजापुर
2. उ0नि0 यु0टी0 श्री उत्कर्ष कुमार सिंह
3. मुख्य आरक्षी कल्लू खां
4. मुख्य आरक्षी शैलेन्द्र कुमार सिंह

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/“शक्ति दीदी” द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व “शक्ति दीदी” अभियान के तहत आज दिनांक 12.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया।

महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति” व “शक्ति दीदी” के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्कवायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(3). आज दिनांक 12.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी तथा उनकी टीम द्वारा तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 67/2024 धारा 498ए,323,306 भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट के वांछित अभियुक्त शिवप्रसाद उर्फ अरविन्द पुत्र भइयालाल निवासी जलंधर पुरवा मजरा सरधुवा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी
2. आरक्षी सालिगराम
3. आरक्षी ललित सोनी

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में निरीक्षक अपराध श्री राकेश कुमार सिंह तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 376/2024 धारा 376 भादवि0 व 66 आईटी एक्ट के वांछित अभियुक्त कुलदीप सिंह पुत्र जमुना सिंह निवासी चकला राजरानी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. निरीक्षक अपराध श्री राकेश कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी संजीव कुमार सोनी

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री त्रिलोकीनाथ मिश्रा तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र रामसजीव निवासी रामपुर थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 01 अदद

तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

बरामदगी:-

01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री त्रिलोकीनाथ मिश्रा थाना पहाड़ी
- 2.आरक्षी सचिन यादव
- 3.आरक्षी नवीन

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा जनपद में गुमशुदा अपहृता/अपहृत के पंजीकृत अभियोगों से सम्बन्धित विवेचकों का अर्दली रुम किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा अर्दली रुम के दौरान विवेचकगणों को नियमानुसार शत प्रतिशत बरामदगी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए साथ ही सर्विलांस/साइबर सेल की मदद लेने हेतु कहा गया।